

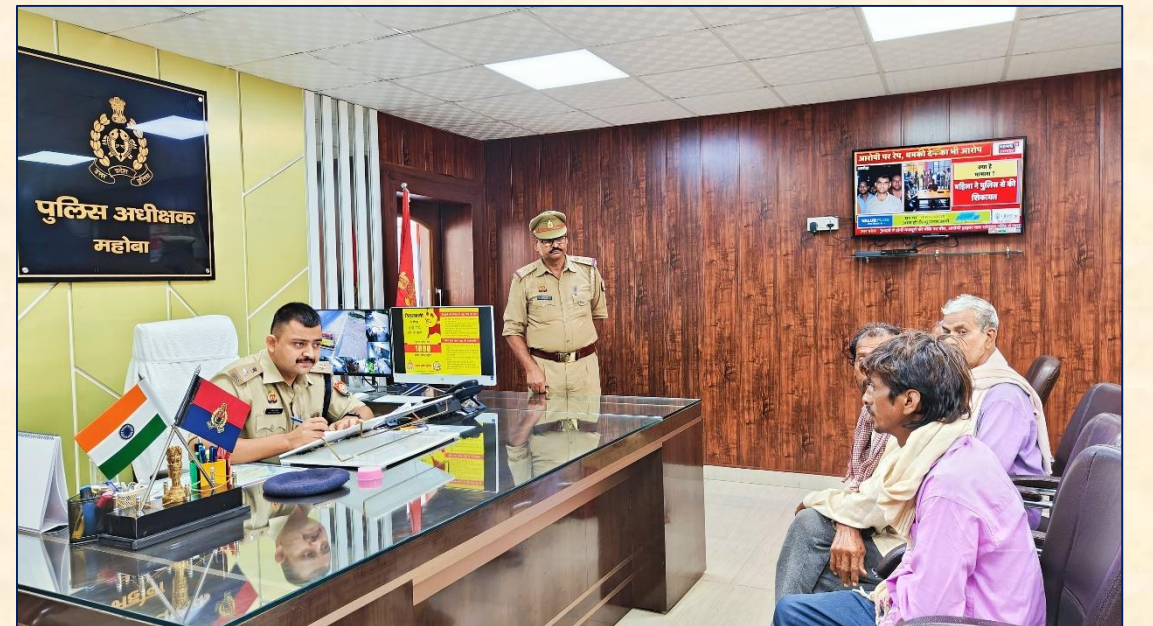
पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा  
पुलिस कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गई,  
फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

आज दिनांक 24.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा जनपदवासियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण व उनको त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनसुनवाई की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा जनसुनवाई को अधिक प्रभावी एवं पारदर्शी बनाते हुये पीड़ितों से एक-एक करके उनकी समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया है। जनसुनवाई के दौरान जो भी फरियादी अपनी शिकायत/समस्याओं के समाधान की उम्मीद के साथ पुलिस अधीक्षक महोबा के समक्ष आये थे उन सभी की समस्याओं को सुनकर उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये/कराये जाने का आश्वासन दिया गया है।

पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा प्राप्त हुई शिकायत के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किये जाने हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह भी मौजूद रहीं।





## सुरक्षा का दायित्व निभा रही हैं "महिला पुलिस बीट अधिकारी"

मिशन शक्ति अभियान के तहत कम्यूनिटी पुलिसिंग एवं महिला सशक्तिकरण हेतु शक्ति दीदी (महिला बीट एवं महिला हेल्प डेस्क) के माध्यम से जनपद में विभिन्न स्थानों पर संचालित कराये गये आउटरीच प्रोग्राम ।

जनपद महोबा में महिलाओं/बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वालंबन हेतु चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-04) के तहत संचालित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 24.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक/पुलिस नोडल मिशन शक्ति श्रीमती वन्दना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैंड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर कर प्राथमिकता के आधार पर महिला/बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में चौपाल का आयोजन कर वृहद स्तर पर जनजागरूकता अभियान चलाया गया तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ शक्ति दीदी के रूप में जुड़ कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया गया । साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों यथा- वूमेन पॉवर लाइन-1090, पुलिस आपातकालीन सेवा-112, एम्बुलेंस सेवा-108, चाइल्ड लाइन-1098, स्वास्थ्य सेवा-102, महिला हेल्पलाइन-181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076 तथा सार्थक और सकारात्मक चर्चा कर गुड टच, बैड टच के बारे में, घरेलू हिंसा के बारे में, साइबर अपराधों के बारे में साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि सहित कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में चर्चा करते हुए शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न सरकारी योजनाओं के विषय में जानकारी देते हुए पम्पलेट प्रदान कर जागरूक किया गया है ।





## थाना महोबकंठ की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

### 02 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना महोबकंठ श्री राधेश्याम वर्मा द्वारा गठित की गई उ0नि0 राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 02 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.गोविन्ददास कुशवाहा पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा 2.बालमुकुन्द पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा जिनके कब्जे से 02 अदद प्लास्टिक की सफेद रंग की बोरी में अलग अलग क्रमशः 22 क्वार्टर व 20 क्वार्टर देशी शराब झूम ब्राण्ड नाजायज बरामद करते हुए ग्राम तेईया के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर क्रमशः मु0अ0सं0 167/2024 व मु0अ0सं0-168/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. गोविन्ददास कुशवाहा पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 54 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. बालमुकुन्द पुत्र स्व0 चरनदास कुशवाहा उम्र 45 वर्ष निवासी ग्राम सौरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 राजेश कुमार
2. प्र0उ0नि0 अंकित कुमार यादव
3. कां0 कुवंरपाल
4. कां0 अजय कोरी





## थाना खन्ना की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

### 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्यामजी यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त मनीष कुमार शिवहरे पुत्र रामगोपाल उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम सिरसीकला माझा थोक थाना खन्ना जनपद महोबा जिसके कब्जे से एक बोरी में 20 क्वार्टर देशी शराब नाजायज बरामद करते हुए ग्राम बहिंगा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 131/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

मनीष कुमार शिवहरे पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम सिरसीकला माझा थोक थाना खन्ना जनपद महोबा

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

01. उ0नि0 श्यामजी यादव

02. का0 दयाशंकर



Mahoba, Uttar Pradesh, India  
Unnamed Road, Uttar Pradesh 210504, India

## थाना खन्ना की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई उ0नि0 चेताराम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपयों-पैसों से हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 04 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1.चून्नू पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 55 वर्ष 2. बरदानी पुत्र कोरा उम्र करीब 52 वर्ष 3. जयहिन्द पुत्र पप्पू उम्र करीब 27 वर्ष 4. दयाली पुत्र झग्गू अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम तिन्दुही थाना खन्ना जनपद महोबा को ग्राम तिन्दुही के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिनकी जामा तलाशी से 1120 रुपये, मालफड 1040 रुपये व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना खन्ना पर मु0अ0सं0 130/2024 धारा 13 जुआ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 चेताराम
- 2.हे0कां0 मो0 हक
- 3.हे0का0 बृजेन्द्र सिंह भदौरिया
- 4.का0 हरनाम
- 5.का0 अमित कुमार

## गिरफ्तार अभियुक्त-

1. चून्नू पुत्र रामप्रसाद उम्र करीब 55 वर्ष
2. बरदानी पुत्र कोरा उम्र करीब 52 वर्ष
3. जयहिन्द पुत्र पप्पू उम्र करीब 27 वर्ष
4. दयाली पुत्र झग्गू अहिरवार उम्र करीब 22 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम तिन्दुही थाना खन्ना जनपद महोबा





## थाना चरखारी की पुलिस टीम ने अवैध शराब के साथ

### 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री गणेश कुमार द्वारा गठित टीम के उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह मय हमराह हे0का0 राजकुमार सिंह व म0का0 नमृता चौधरी द्वारा 01 नफर अभियुक्त नगीता पुत्री राजेश कबूतरा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा हाल पता निवासी ग्राम चौका थाना कुलपहाड जनपद महोबा जिनके कब्जे से एक प्लास्टिक की पिपिया में 10 लीटर कच्ची शराब महुआ नाजायज बरामद करते हुए ग्राम गौरहारी थाना चरखारी जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 223/2024 धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

नगीता पुत्री राजेश कबूतरा उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा हाल पता निवासी ग्राम चौका थाना कुलपहाड जनपद महोबा

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 भूपेन्द्र सिंह
2. हे0का0 राजकुमार सिंह
3. म0का0 नमृता चौधरी





## थाना अजनर की पुलिस टीम ने सार्वजनिक स्थान पर हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती अपर्णा गुप्ता के निर्देशन में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग एवं गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी व0उ0नि0 श्री मलखान सिंह द्वारा गठित की गयी उ0नि0 सत्यप्रकाश दीक्षित व म0उ0नि0 अंकिता कुमारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सार्वजनिक स्थान पर रुपयों-पैसों से हार-जीत की बाजी लगा जुआ खेल रहे 03 नफर अभियुक्तगण क्रमशः 1. कल्लू नाई पुत्र नन्दकिशोर उम्र करीब 32 वर्ष 2.प्रेमचन्द्र नाई पुत्र कन्हैया उम्र करीब 55 वर्ष 3.लक्ष्मीप्रसाद राजपूत पुत्र शिवदयाल उम्र करीब 30 वर्ष निवासीगण ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा ग्राम अजनर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया । जिनकी जामा तलाशी से 300 रुपये, मालफड़ 840 रुपये व 52 अदद ताश पत्ता बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध थाना अजनर पर मु0अ0सं0 208/2024 धारा 13 जुआ अधि0 का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

## गिरफ्तार करने वाली टीम -

- 1.उ0नि0 सत्यप्रकाश दीक्षित 2. म0उ0नि0 अंकिता कुमारी
- 3.का0 सूर्याश प्रताप सिंह बुन्देला 4.कां0 धर्मेन्द्र कुमार

## गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. कल्लू नाई पुत्र नन्दकिशोर उम्र करीब 32 वर्ष
2. प्रेमचन्द्र नाई पुत्र कन्हैया उम्र करीब 55 वर्ष
- 3.लक्ष्मीप्रसाद राजपूत पुत्र शिवदयाल उम्र करीब 30 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम खिरियाकला थाना अजनर जनपद महोबा।





## थाना खन्ना की पुलिस टीम ने

### 01 नफर वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना श्री विनोद कुमार द्वारा गठित की गई 30नि0 चेताराम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त विनय उर्फ रामफल पुत्र मोहनलाल उम्र करीब 45 वर्ष निवासी ग्राम कहरा थाना खन्ना जनपद महोबा सम्बंधित मु0न0 1195/2019 सीसी न0 291/2019 धारा 323/504 भादवि एनसीआर न0 54/17 में माननीय न्यायालय सिविल जज जू0डि0 महोबा द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम कहरा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

विनय उर्फ रामफल पुत्र मोहनलाल नि0 ग्राम कहरा थाना खन्ना जनपद महोबा उम्र करीब 45 वर्ष

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. 30नि0 चेताराम
2. हे0का0 मो0 हक





**थाना श्रीनगर एवं आबकारी की संयुक्त पुलिस टीम ने अवैध शराब के विरुद्ध की कड़ी कार्यवाही, 65 लीटर अवैध शराब के साथ 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, मौके से बरामद 06 क्विंटल लहन किया नष्ट-**

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में अपराध की रोकथाम हेतु अवैध शराब की बिक्री, परिवहन एवं निष्कर्षण पर प्रभावी रोक एवं ऐसे क्रियाकलापों में शामिल अभियुक्तों की चेकिंग एवं उनकी गिरफ्तारी/बरामदगी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में दिनांक 23.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक, श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी निरीक्षक शिवपाल सिंह द्वारा संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया। अवैध शराब के विरुद्ध गठित संयुक्त पुलिस टीम ने थानाक्षेत्र के भिन्न-भिन्न स्थानों से अवैध शराब के साथ 05 नफर अभियुक्ता क्रमशः (1)सुलोचना पत्नी मनीराम कबूतरा उम्र 59 वर्ष जिसके कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब (2)परी पत्नी शंकर कबूतरा उम्र 28 वर्ष जिसके कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब (3)मुस्कान पत्नी अक्षय कबूतरा उम्र 25 वर्ष जिसके कब्जे से 13 लीटर कच्ची शराब (4)संगीता पत्नी पप्पू कबूतरा उम्र 35 वर्ष जिसके कब्जे से 14 लीटर कच्ची शराब (5)अनुसुईया पत्नी नरेन्द्र कबूतरा उम्र 27 वर्ष जिसके कब्जे से 13 लीटर कच्ची शराब नाजायज की बरामदगी करते हुए नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान मौके पर करीब 600 Kg बरामद मिश्रित लहन को नष्ट किया गया है। अभियुक्ताओं के से हुई अवैध शराब की बरामदगी के आधार पर थाना श्रीनगर में क्रमश मु0अ0सं0 198/24, मु0अ0सं0 199/24, मु0अ0सं0 200/24, मु0अ0सं0 201/24, मु0अ0सं0 202/24 धारा 60 आबकारी एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित की गई।

**गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम का विवरण-**

1. उ0नि0 शंकर लाल थाना श्रीनगर महोबा
2. हे0का0 अमरीश सिंह
3. आबकारी निरीक्षक कनीज फातिमा क्षेत्र 1 महोबा मय हमराह

**बरामदगी -**

अभियुक्तागण के कब्जे से क्रमशः 10 ली0, 15 ली0, 13 ली0, 14 ली0 व 13 ली0 कुल 65 लीटर अवैध कच्ची शराब नाजायज बरामद होना व करीब 600 किग्रा. लहन मौके पर नष्ट किया गया।





## थाना श्रीनगर की पुलिस टीम ने अवैध शस्त्र एवं कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन पर जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अवैध शस्त्र के निर्माण, बिक्री एवं परिवहन से सम्बन्धित अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह द्वारा गठित की गई उ0नि0 दिनेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त अरुण राजपूत पुत्र कमतू राजपूत उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा जिसके कब्जे से 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर व 01 अदद कारतूस 315 बोर नाजायज बरामद करते हुए कस्बा श्रीनगर थाना श्रीनगर के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 203/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त-

अरुण राजपूत पुत्र कमतू राजपूत उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम भण्डरा थाना श्रीनगर जनपद महोबा

### गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- (1) मु0अ0सं0 170/2022 धारा 323/504/506 भादवि0
- (2) मु0अ0सं0 203/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट

## गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 दिनेश सिंह
2. कां0 विजयशंकर त्रिपाठी
3. का0 शीलू यादव
4. का0 सूरज सोनकर





## थाना कबरई की पुलिस टीम ने दुष्कर्म से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम एवं आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक कुमार दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई अतिरिक्त निरी० श्री गोपालचन्द्र कनौजिया के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 268/2024 धारा 64(1)/333/351(3) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर वांछित अभियुक्त अखिलेश कुमार श्रीवास पुत्र रामहेत श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम विगहना थाना विवांर जनपद हमीरपुर को बांदा तिराहा कस्बा व थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा० न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. अतिरिक्त निरी० श्री गोपालचन्द्र कनौजिया
2. हे०कां० शिवमहन्त मौर्या
3. कां० इन्द्रजीत यादव

### गिरफ्तार अभियुक्त-

अखिलेश कुमार श्रीवास पुत्र रामहेत श्रीवास उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम विगहना थाना विवांर जनपद हमीरपुर।





## थाना कबरई की पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत अपराध की रोकथाम हेतु आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले अभियुक्तों के विरुद्ध चलाये जा रहे सघन चेकिंग/गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में आज दिनांक 24.09.2024 को अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री दीपक दुबे के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री नागेन्द्र कुमार नागर द्वारा गठित की गई उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिवार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कौहारी थाना कबरई जनपद महोबा सम्बन्धित वाद सं0 37/22, अ0सं068/22 धारा 323/504 भादवि व 3(1)द,ध,3(2)5क एससी/एसटी एक्ट में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी वारण्ट के अनुपालन में अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम कौहारी थाना कबरई जनपद महोबा के पास से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम -

1. उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह परिवार
2. कां0 शुभम कुमार

### गिरफ्तार अभियुक्त-

पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र बृजेन्द्र सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम कौहारी थाना कबरई जनपद महोबा।





**पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा थाना खन्ना एवं थाना कबरई का औचक निरीक्षण किया गया, थानाक्षेत्र में पैदल गस्त कर एरियाडोमिनेशन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया, पुलिसकर्मियों की वार्ता, दिए आवश्यक निर्देश-**

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा दिनांक- 23.09.2024 को सर्किल नगर क्षेत्र के 02 थाने क्रमशः थाना खन्ना एवं थाना कबरई का औचक निरीक्षण किया गया।

इस औचक निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय के महत्वपूर्ण अभिलेखों/रजिस्टर, बैरिक, मैस, मालखाना, हवालात, महिला हेल्पडेस्क, साइबर हेल्प डेस्क, कंप्यूटर/सीसीटीएनएस कक्ष, आईजीआरएस पेंडेंसी, लम्बित प्रकरण इत्यादि का निरीक्षण किया गया साथ ही सम्पूर्ण थाना परिसर का भ्रमण कर निर्माणाधीन भवनों का अवलोकन करते हुए परिसर में साफ-सफाई का निरीक्षण किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थानाहाजा के पुलिस कर्मियों से वार्ता कर उनके कार्यों की समीक्षा की गई साथ ही उनको बीट बुक अपडेट रखने व आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरते जाने व अपराधियों का चिन्हाकन कर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही में तेजी लाये जाने के निर्देश दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी को महिला अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशीलता बरते जाने व त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिये गये हैं साथ ही अभिलेखों के उचित रख-रखाव के साथ अद्यावधिक किये जाने के लिए भी निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना क्षेत्र में शान्ति एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था के दृष्टिगत प्रभावी पैदल गस्त कर एरियाडोमिनेशन करते हुए सुरक्षा व्यवस्था का भौतिक सत्यापन किया गया है। इस दौरान स्थानीय लोगों से संवाद कर सुरक्षित परिवेश का एहसास कराया गया।

इस अवसर पर प्रभारी निरीक्षक थाना खन्ना विनोद कुमार, प्रभारी निरीक्षक कबरई नागेन्द्र नागर, पीआरओ अरविन्द सिंह गौर सहित थाना स्थानीय पर नियुक्त समस्त अधि०/कर्म० मौजूद रहे।





## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस लाइन महोबा अवस्थित समस्त शाखाओं का औचक निरीक्षण किया गया, दिए गए आवश्यक निर्देश-

आज दिनांक 24.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस लाइन महोबा का औचक निरीक्षण/भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस लाइन अवस्थित पुलिस कैन्टीन, बैरक, भोजनालय, परिवहन शाखा, साइबर थाना, निर्माणाधीन बिल्डिंग, यातायात पुलिस कंट्रोल रूम, क्वार्टर गार्ड अवस्थित शस्त्रागार, जीपी स्टोर इत्यादि का भ्रमण कर साफ-सफाई सहित अन्य व्यवस्थाओं को परखते हुए अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस कैन्टीन में आवश्यक सामग्री को क्रय किये जाने, बैरक में पुलिसकर्मियों को सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान किये जाने, परिवहन शाखा में गाड़ियों की स्थिति की जानकारी कर उनको समय समय पर सर्विसिंग कराये जाने, साइबर अपराध पर प्रभावी रोक लगाते हुए सम्बन्धित साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित किये जाने, निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रयोग किये जाने, क्वार्टर गार्ड में आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता एवं जीपी स्टोर में मौजूद दंगा निरोधक उपकरणों की स्थिति तथा मौजूद अन्य सामग्री को जनपद के सभी थानों एवं शाखा कार्यालय को प्रदान किये जाने तथा अन्य आवश्यक सामग्री को क्रय किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक शिवकुमार, प्रभारी निरीक्षक साइबर थाना फहीम अख्तर, पीआरओ अरविन्द सिंह गौर, प्रभारी परिवहन सन्तोष द्विवेदी सहित अन्य सम्बन्धित अधि./कर्म. मौजूद रहे।





## पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा पुलिस कार्यालय में जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ क्षेत्रीय समस्याओं के सम्बन्ध में मासिक विचार विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया...

आज दिनांक 24.09.2024 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय महोबा में जनपद के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ समायिक विषयों पर परिचर्चा हेतु मासिक विचार-विमर्श गोष्ठी का आयोजन किया गया; जनपद में अपराध नियंत्रण, शान्ति एवं कानून-व्यवस्था, क्षेत्रीय समस्याओं एवं पुलिसिंग में अपेक्षित सुधार आदि विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श कर विचारों का आदान-प्रदान किया गया।

इस गोष्ठी का मुख्य उद्देश्य सम्मानित मा0 सांसद/विधायक एवं उनके जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर जनहित में प्राप्त सुझावों से जनपद की क्षेत्रीय समस्याओं के निस्तारण हेतु पुलिस व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त करने में सहायता प्राप्त होगी साथ ही साथ जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण पहलुओं पर पुलिस के दृष्टिकोण से अवगत कराने तथा विचारों के आदान-प्रदान से एक-दूसरे को समझने में सहायक होगी।

इस दौरान मा0 सांसद श्री अजेन्द्र सिंह लोधी, MLC श्री जितेन्द्र सिंह सेंगर, सदर विधायक श्री राकेश गोस्वामी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री अवधेश गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री जे0पी0 अनुरागी, चरखारी विधायक प्रतिनिधि श्री उदित राजपूत सहित जनपदीय पुलिस के समस्त राजपत्रित अधिकारी क्रमशः अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह, क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री रविकान्त गौड़, क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्रीमती हर्षिता गंगवार मौजूद रहे।





**पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चलाया गया स्कूली वाहनों का चेकिंग अभियान। कई वाहनों में कमियां पाये जाने पर चालान किया, चेतावनी दी गयी कि मानकों पर खरा नहीं उतरने पर कार्यवाही की जाएगी।**

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद महोबा में स्कूली बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिगत नियमों के विरुद्ध संचालित स्कूली वाहनों यथा- बस, कूजर, ईरिक्शा, ऑटो, ओमनी इत्यादि वाहनों एवं किराये पर स्कूली बच्चों ढोने वाले प्राइवेट वाहनों में सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए सघन चेकिंग करायी गयी। इस विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 24.09.2024 को प्रभारी यातायात महोबा श्री सुनिल कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने स्कूल वाहन चेकिंग अभियान चलाया। स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा हेतु तयशुदा मानकों को परखा गया है। इस अभियान के तहत 10 वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार चालान की कार्यवाही की गयी है।

चेकिंग अभियान के दौरान चालक और परिचालकों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए मानकों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। स्कूल प्रशासन से बात कर हिदायत देते हुए कहा गया है कि स्कूल वाहन में वैध वाहनों का ही संचालन किया जाये स्कूली वाहन के समस्त प्रपत्र जिनमें मुख्य रूप से आरसी, चालक का लाइसेंस, इंश्योरेंस हो, साथ ही साथ सुरक्षा उपकरण, दमकल यंत्र, फर्स्ट एड बॉक्स आदि सामान होना चाहिए। दक्ष चालकों को ही स्कूल वाहन संचालन करने दिया जाए। चालक, परिचालक का पूरा ब्यौरा स्कूल में होना चाहिए। यदि मानक के विपरीत ये स्कूली वाहन अब संचालित होते पाए गए तो कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

इसके अतिरिक्त ऐसे स्कूली छात्र जो बिना हेलमेट पहने हुए तथा तीन सवारी के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करते पाये गये ऐसे छात्रों की जीवनरक्षा को ध्यान में रखकर चेकिंग अभियान चलाया गया एवं यातायात नियमों की जानकारी प्रदान की गई है।



OnePlus 12

HASSELBLAD  
23mm f/1.6 1/415s ISO50

OnePlus 12

HASSELBLAD  
23mm f/1.6 1/448s ISO50



OnePlus 12

HASSELBLAD  
23mm f/1.6 1/167s ISO50

OnePlus 12

HASSELBLAD  
18mm f/2.2 1/448s ISO50

OnePlus 12

HASSELBLAD  
23mm f/1.6 1/428s ISO50



**मां0 जिला जज, जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा  
संयुक्त रूप से उपकारागार महोबा का निरीक्षण किया गया,  
जेल में निरुद्ध बंदियों से वार्ता कर दिये गये आवश्यक निर्देश-**

आज दिनांक- 24.09.2024 को मां0 जिला जज महोबा श्री जय प्रकाश यादव, जिलाधिकारी महोबा श्री मृदुल चौधरी व पुलिस अधीक्षक महोबा पलाश बंसल द्वारा संयुक्त रूप से उपकारागार महोबा का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए उपकारागार में निरुद्ध बंदियों के आवासीय बैरक, भोजनालय, हॉस्पिटल आदि का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान जेल में निरुद्ध कैदियों-बंदियों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली गयी, मेस में बन रहे भोजन के संबंध में जानकारी लेते हुए भोजन की गुणवत्ता की जांच की गयी। जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक करते हुए इसके संचालन के संबंध में जेल अधिकारी को निर्देशित किया कि सीसीटीवी के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। इसके अलावा पुरुष एवं महिला बैरक, अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया, जिसके क्रम में उन्होंने जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि जेल परिसर और बैरकों में सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाये और नियमानुसार बंदियों को आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। सभी कैदियों की समय-समय पर काउंसिलिंग कराएं जिससे उनकी जीवन शैली में अपेक्षित सुधार लाया जा सके।





# महोबा पुलिस

मीडिया सेल, महोबा

